न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 42/2018 तारीख रजू:– 26.11.2018

1 रामरज पुत्र प्यारेलाल जाति मीना
2 बत्तीलाल पुत्र चैन्या जाति मीना
→ निवासीयान डिकोली खुर्द सब तहसील कुडगॉव तहसील सपोटरा जिला करौली :– अपीलान्ट

बनाम

1 राजस्थान सरकार नायब तहसीलदार कुडगॉव जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 26.9.2018 न्यायालय नायब तहसीलदार कुडगॉव मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामरज वगै0 मुकदमा नम्बर 86/018 धारा 91 एल.आर.एक्ट के विरूद्व तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 19.02.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील नायब तहसीलदार कुडगॉव के निर्णय दिनांक 26.9.2018 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस दिये ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। खसरा नम्बर 77 रकवा 3 वीधा सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है। मौके पर भूमि खाली पडी हुई है जिसमे मेवेशी चरती हैं इस बाबत न्यायालय मे अण्डर टेंकिंग न्यायालय मे प्रस्तुत करने को तैयार हूँ इस निर्णय की जानकरी दिनांक 25.10.2018 को हुई दिनांक 25.10.2018 से 6.11.2018 तक नकल लेने मे लगे समय को मुजरा करते हुये अपील अन्दर म्याद पेश है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।

प्रार्थी अपीलान्ट उपस्थित हुआ और अण्डर टेकिंग पेश की गई। जिसमे भूमि मौके पर खाली पडी हुई है। किसी प्रकार का कोई अतिकमण नही है। पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की गई है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने प्रार्थी अपीलान्ट को सुनने पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का डिकोली कला ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत खसरा नम्बर 77 रकवा 3 वीधा गैरममकिन पहाड पर तिल कब्जा जौत कर

किये गये अतिचार को हटाने का है। यदि हस्तगत प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात से अतिचार हटा लिया है। और भविष्य मे कभी भी अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम प्रार्थी अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार गुडगॉव तहसील सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 26.9.2018 के तहत अपीलान्ट रामराज पुत्र प्यारेलाल , बत्तीलाल पुत्र चैन्या जाति मीना निवासी डिकोली खुर्द को दी गई 3 माह की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि यदि अपीलान्ट एक माह के अन्दर अडरट्रेकिंग पेश कर देता है और अपीलान्ट प्रशनगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है ओर भविष्य मे किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। इस बात से नायब तहसीलदार सन्तुष्ट हो जाते है तो सिविल कारावाश की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ती से सम्बंधित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली